संख्या-598/2020/1194/22-2-2020-ई-17(445)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवप्रकाश मिश्रा पुत्र श्री मारकन्डेय मिश्रा, निवासी जिला-वाराणसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30277/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.11.2020, दिनांक 09.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शिवप्रकाश मिश्रा पुत्र श्री मारकन्डेय मिश्रा, ग्राम बहेड़वा, थाना-मिर्जामुराद, जनपद-वाराणसी का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीन एवं नाली सम्बन्धी विवाद और मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 08.01.1999 को 03 अभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-384/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-03, वाराणसी के आदेश दिनांक 13.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.02.2010 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.02.2020 द्वारा यथावत रखा गया है। उक्त के अतिरिक्त सत्र परीक्षण संख्या-112/2000, धारा-3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं0-08/विशेष न्यायाधीश (उ0प्र0गि0ब0अ0) वाराणसी के दण्डादेश दिनांक 22.10.2019 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.11.2020 तक 14 वर्ष 01 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 10 माह 08 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने, भविष्य में पुन: अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना होने, अपराध करने में सक्षम होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: क्रिमिनल अपील संख्या-1759-1760/2010 चन्द्रभूषण मिश्रा एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.02.2020 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिवप्रकाश मिश्रा (बन्दी संख्या-99/2014) पुत्र श्री मारकन्डेय मिश्रा, निवासी जिला-वाराणसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-598/2020/1194(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-D.No. 8404/2010/SEC-II, दिनांक 27.08.2020 के सन्दर्भ में।

2- पीवी. योगेशवरन, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, 29 लायर्स चैम्बर्स सुप्रीम कोर्ट कम्पाउण्ड, नई दिल्ली-110001 को उनके पत्र दिनांक 19.09.2020 के सन्दर्भ में।

3- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।